REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072025-264266 CG-DL-E-01072025-264266

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2853] No. 2853] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 1, 2025/आषाढ़ 10, 1947 NEW DELHI, TUESDAY, JULY 1, 2025/ASHADHA 10, 1947

> वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

> > अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2025

का.आ. 2920(अ).— वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के का.आ. 4255 (अ) दिनांक 29.09.2023 और का.आ. 1563 (अ) दिनांक 02.04.2025 के क्रम में, इस बात पर पुन: बल दिया जाता है कि 1 जुलाई, 2025 से देशभर में इलेक्ट्रिक डेटोनेटर (क्लास 6 डिवीजन 3 अथवा यूएन क्लास 1 डिवीजन 1 का विस्फोटक) के विनिर्माण, कब्जे और निर्यात पर प्रतिबंध है।

बशर्ते कि कोयला खदानों में प्रयोग के लिए अनुमत डिले डेटोनेटर तथा तेल भंडार की खोज और उत्पादन के लिए तेल एवं गैस ऑपरेटर कम्पनियों द्वारा तेल के कुओं के लॉगिंग प्रचालनों और भूकंपीय सर्वेक्षण के लिए उपयुक्त डेटोनेटरों के विनिर्माण, कब्जे और आयात पर यह प्रतिबंध 30 सितम्बर, 2025 तक लागू नहीं होगा।

[फा. सं. पी-13015/45/2021-विस्फोटक-पार्ट(1)]

डॉ. संध्या भुल्लर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2025

S.O. 2920(E).— In continuation of Ministry of Commerce & Industry, Department for Promotion of Industry and Internal Trade's S.O. 4255 (E) dated 29.09.2023 and S.O. 1563 (E) dated 02.04.2025, it is reiterated that the manufacture, possession and import of the electric detonator (explosive of Class 6 Division 3 or UN Class 1 Division 1) is prohibited throughout the country with effect from the 1^{st} day of July, 2025.

Provided that such prohibition, manufacture, possession and, import of Permitted Delay Detonators for usage in coal mines and suitable Detonators for Oil well logging operations and seismic survey by oil and gas operator companies for oil exploration and production, shall not be applicable till 30th Day of September, 2025.

[F. No. P-13015/45/2021-EXPLOSIVE-Part(1)]

Dr. SANDHYA BHULLAR, Jt. Secy.